

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:-14/अ0प्र0-14-148/2025
प्रेषक,

पटना, दिनांक-

मो0 सुल्तान अहमद,
अभियंता प्रमुख

सेवा में,

निबंधित

Nand Kishor Singh(Regd. No-1240430)
Vill-Garura, Post-Belwan,
Near Jawahir Maee, PS-Agrer,
Dist-Rostas, Pin-802217,
Mo-7739711924

विषय:-

कार्य प्रमंडल, सासाराम-01 के अधीन निविदा(टेन्डर आई0डी0-139730) में फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र समर्पित करने के कारण कालीसूची में सम्मिलित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्य प्रमंडल, सासाराम-01 के अधीन निविदा(टेन्डर आई0डी0-139730) में फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र समर्पित करने के कारण आपके विरुद्ध बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में सुसंगत कंडिकाओं के तहत कार्रवाई किये जाने हेतु अनुशंसा उपलब्ध करायी गई है। आपके विरुद्ध आरोप, साक्ष्य एवं प्रस्तावित दंड की विवरणी निम्नवत् है:-

आरोप:-फर्जी कागजात के आधार पर निविदा में भाग लेना।

साक्ष्य:- अभियंता प्रमुख-सह-अपर-आयुक्त-सह-विशेष-सचिव द्वारा की गई अनुशंसा।

प्रस्तावित दंड:-बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक-19.12.2007 की कंडिका-11(क) की उपकंडिका(ix) के आलोक में निबंधन को कालीकृत करना।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि 15(पंद्रह) दिनों के अंदर अपना पक्ष विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि क्यों नहीं आपके निबंधन संख्या-1240430 को कालीसूची में सम्मिलित किया जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में विभाग एकपक्षीय कार्रवाई हेतु स्वतंत्र होगा।

विश्वासभाजन

अभियंता प्रमुख

पटना, दिनांक 22-7-23

पत्रांक:-14/अ0प्र0-14-148/2025

7978

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख